फर्द अहकाम

हरिनारायण बनाम राजस्थान सरकार

र्थना पत्र संख्या: 182/2024

नांक	आज्ञा विस्तृत रूप से	विशेष विवरण
.07.2024	प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 को पेश है। प्रार्थी ने निवेदन किया कि ग्राम कलवाडा, तहसील सांगानेर में मेरी जमीन खसरा नं. 927 है, वहाँ पर 250 फीट रोड है, 250 फीट रोड के लिए मेरी जमीन खसरा नं. 927 में से भूमि रोड के लिये अवाप्त की गयी थी जिसका मुआवजे के रूप में 20 प्रतिशत भूमि का आवासीय पट्टा तथा 5 प्रतिशत वाणिज्यिक पट्टा जयपुर विकास प्राधिकरण से मुझे प्राप्त हो गया है। मान्यवर, खसरा नं. 927 तथा 927/1 के रूप में तरमीम की गयी है इसमें तरमीम में मानवीय भूल से खसरा नं. 927 तथा 927/1 में आपसे उल्टा अंकित हो गया है। इस संदर्भ में मैंने जयपुर विकास प्राधिकरण में जानकारी करने पर जयपुर विकास प्राधिकरण राजस्व शाखा ने वास्तव में भूलवश उल्टा, सुल्टा अंकित होना स्वीकार किया है, एतदर्थ सादर निवेदन है कि खसरा नं. 927 की जगह 927/1 व खसरा नं. 927/1 की जगह 927 की तरमीम दुरस्त करने का आदेश दिलाने की कृपा करावें। प्रार्थना पत्र दर्ज किया जाकर प्रार्थी को प्रार्थना पत्र पर सुना गया। दौराने बहस प्रार्थी ने निवेदन किया कि खसरा नं. 927 की जगह 927/1 व खसरा नं. 927/1 की जगह 927 की तरमीम दुरस्त करने का आदेश दिलाने की कृपा करावें। बहस प्रार्थी एवं प्रार्थना पत्र का अवलोकन कराने पर प्रार्थी की ओर से पेश प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 स्वीकार किया जाकर तहसीलदार सांगानेर को प्रार्थी की वाके ग्राम कलवाडा, तहसील सांगानेर जिला जयपुर में स्थित खसरा नम्बरान् खसरा नं. 927 एवं 927/1 की तरमीम दुरूस्त करने के आदेश दिये जाते है। आदेश की पालना हेतु तहसीलदार सांगानेर को तहरीर जारी हो। पत्रावली फैसल शुमार होकर दर्ज नम्बर से कम होकर बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो। उपखण्ड अधिकारी जयपुर द्वितीय (सांगानेर) Signature Not Verified Digitally signed by Himmat Singh Date: 2024.09.06 15:40:07 IST Reason: SelfAttested	